झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... राँची, दिनांक–...............................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 25 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू॰ 2695.68 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ पंचान्वे लाख अरसठ हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 25 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू॰ 2695.68 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ पंचान्वे लाख अरसठ हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य के नदी नालों में बहने वाले जल को रोककर नियंत्रित रूप से Gravity flow के द्वारा प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर निर्माण की योजना अत्यंत उपयोगी है।

4. (क) स्वीकृत योजनाओं की सूची परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

(ख) स्वीकृत कार्य की कुल लागत रू॰ 2695.68 लाख है, जिससे 2680 हे॰ (खरीफ–2172 हे0 एवं रब्बी–508 हे0) सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। इस कार्य का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू॰ 100585/प्रति हेक्टेयर आकलित है तथा लाभ–लागत अनुपात 1 से अधिक है।

5. स्वीकृत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ प्रदान की गई है।

(क) वीयर योजना निर्माण हेतु चयनित नदी/नाला पर स्वीकृत योजना के लिए स्थल के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत रूपांकण के आधार पर योजनावार विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

(ख) कार्यकारी प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।

(ग) वीयर योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।

6. स्वीकृत कार्य पर होने वाला व्यय निम्न रूप से भारित किया जायगाः–

(क) जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजनाओं पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जायेगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खुँटी/राँची/गुमला/जमशेदपुर/गोडड्ा/जामताड़ा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो। स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर योजना –सह– वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिष्द की स्वीकृति प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0ः–परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... **राँची, दिनांक–**............................
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–परिशिष्ट– I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–49/2015 .... **राँची, दिनांक–**............................
प्रतिलिपिः सभी कोषागार, पदाधिकारी, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–परिशिष्ट– I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 .... राँची, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई / सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0ः–परिशिष्ट– I

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 .... राँची, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग / दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / कोल्हान प्रमंडल चाईबासा / संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–परिशिष्ट– I

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 .... राँची, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः–परिशिष्ट– I

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–49 / 2015 76/17-8 प्र॰ह॰ राँची, दिनांक–08.02.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–परिशिष्ट– I

08/02/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)
08/02/18

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन स्वीकृत वीयर निर्माण योजना की विवरणी :-

क्रम सं0	प्रमंडल	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0) खरीफ	रब्बी	कुल	Incidence of Cost	B.C. Ratio	अभि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	राँची	तलसंडी वीयर योजना निर्माण	बुण्डू	54.704	30	8	38	143958	1.44	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची	राँची	नवरंगा नाला पर वीयर योजना निर्माण	चान्हो	138.484	110	25	135	102581	1.03	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला	गुमला	शिमला नाला पर वीयर का निर्माण	रायडीह	213.200	195	52	247	86316	1.52	
4		गुमला	जमगई केरा झरिया नाला पर वीयर का निर्माण	घाघरा	182.073	110	30	140	130052	1.38	
5		गुमला	तेलहासियार गरहा नाला पर वीयर का निर्माण	गुमला	101.424	60	18	78	130031	1.44	
6		गुमला	वंगरू नदी पर वीयर का निर्माण	पालकोट	159.167	100	26	126	126323	1.25	
7		गुमला	पिंजरा नदी पर वीयर का निर्माण	पालकोट	205.029	160	42	202	101500	1.60	
8		गुमला	कुरू नाला पर वीयर का निर्माण	रायडीह	171.019	115	15	130	131553	1.53	
9		गुमला	मिलमिली नाला पर वीयर का निर्माण	रायडीह	144.725	105	28	133	108816	1.43	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	ग्राम पारासिया में मरिया खाल नाला पर वियर निर्माण	चकुलिया	80.340	40	20	60	133900	2.73	
11		पूर्वी सिंहभूम	खिजुरिया नाला पर वियर निर्माण	चकुलिया	50.220	20	10	30	167400	2.22	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा	सेनार चक ग्राम में सापिन नदी पर अठगामा वियर का निर्माण	पथरगामा	131.130	115	21	136	96419	1.18	
13		गोड्डा	अमडीहा ग्राम में सापिन नदी पर पंजर हाड जंघा के पास वियर का निर्माण	पथरगामा	96.356	85	15	100	96356	1.18	
14		गोड्डा	सैदापुर ग्राम में कौआ नदी पर रमनी कुटी डॉड के पास वियर का निर्माण	गोड्डा	77.849	65	15	80	97311	1.17	
15		गोड्डा	कौआ नदी में वीयर निर्माण	मेहरमा	96.070	85	15	100	96070	1.19	

25_scheme_22.12.17

D:\Dixit\My documents\PMC\3_49_15_Work_AA_Weir

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन स्वीकृत वीयर निर्माण योजना की विवरणी :-

क्रम सं0	प्रमंडल	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0)			Incidence of Cost	B.C. Ratio	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा	झाला नाला पर वीयर निर्माण	मेहरमा	74.432	65	10	75	99243	1.14	
17		गोड्डा	दियरा नदी पर वीयर निर्माण	ठाकुरगंगटी	92.721	81	15	96	96584	1.18	
18		गोड्डा	मसनाहा बांध में वीयर का निर्माण	महागामा	87.046	78	10	88	98916	1.14	
19		गोड्डा	अंजना नदी पर वीयर निर्माण	महागामा	72.760	60	15	75	97013	1.18	
20		गोड्डा	हरणा नदी में वीयर निर्माण कार्य	पोड़ैयाहाट	136.470	150	40	190	71826	1.67	
21		गोड्डा	मेघी नदी में वीयर निर्माण	बोआरी जोर	108.150	135	18	153	70686	1.39	
22	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	जामताड़ा	पत्थराबाद ग्राम के पास वीयर का निर्माण	फतेहपुर	55.035	55	15	70	78621	1.73	
23		जामताड़ा	सीताकुण्डी ग्राम के पास वीयर का निर्माण	फतेहपुर	53.925	55	15	70	77036	1.78	
24		जामताड़ा	संथालहीर ग्राम के पास वीयर का निर्माण	जामताड़ा	55.412	45	15	60	92353	1.16	
25		जामताड़ा	नावाडीह ग्राम के पास वीयर का निर्माण	नारायणपुर	57.939	53	15	68	85204	1.21	
कुल :–					2,695.680	2,172	508	2,680			

पत्रांक 76/1718 उ. स्व. दिनांक 05.02.2018

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग